

21/04/20 पत्रावली पत्रा हुके। वकील ज्ञानी अपना विधायकगण
 की ओर अविषयता शीघ्रतः विकसित के सहकार
 जाहीर की है कि धायकगण की नेरकमंदी की
 जाती है तो मुझे कुछे आपसि नहीं है। अतः
 नेरकमंदी निर्गम अलग से लिखा जाऊ
 शामिल पत्रावली किया जाता है। पत्रावली फुल
 सुमाट सेर दाखिल दण्टर हो। संख्या से उम है। *[Signature]*

वकील
 हुके

[Faint handwritten notes and signatures]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 66/2023 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

खेताराम वगैरा बनाम जोगराजसिंह वगैरा

पीठासीन अधिकारी — श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस

प्रार्थी वकील — श्री करनाराम कड़वासरा


निर्णय

दिनांक — 21/04/23

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र कारटिया भू.अ.नि. क्षेत्र सोनड़ी के मौजा कारटिया के खेत खसरा संख्या 393 रकबा 4.6458 हैक्टर व खसरा संख्या 626/393 रकबा 4.6539 हैक्टर, खसरा संख्या 627/393 रकबा 4.6458 हैक्टर स्थित है। प्रार्थी के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्रार्थी के खेत के पडोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काशत अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थी ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के वक्त काशत प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थी विवादित भूमि के खातेदार काशतकार राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया की जाकर वादग्रस्त भूमि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र कारटिया भू.अ.नि. क्षेत्र सोनड़ी के मौजा कारटिया के खेत खसरा संख्या 393 रकबा 4.6458 हैक्टर व खसरा संख्या 626/393 रकबा 4.6539 हैक्टर, खसरा संख्या 627/393 रकबा 4.6458 हैक्टर की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते है कि वो दोनो पक्षो के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते है कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनो पक्षो के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काशत में परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो। तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थी के खसरे की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावे एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फ़ैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 21/04/23 को न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया।


रामजी भाई कलबी
(S.D.O.) सेड़वा
उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा जिला बाड़मेर

प्रार्थी	विप्रार्थीगण
<ol style="list-style-type: none"> 1. खेताराम पुत्र धड़ाराम 2. किस्तुरी पत्नि धूडाराम 3. तीजो पत्नि ईशरा 4. धापूदेवी पत्नि भेराराम 5. पुरखा पुत्र ईशरा 6. पाबूराम पुत्र भेराराम 7. भंवरा पुत्र ईशरा 8. रूपाराम पुत्र पदमा 9. हुकमाराम पुत्र भेराराम 10. केशाराम पुत्र कुम्भाराम 11. देवाराम पुत्र जुंझाराम 12. नारणाराम पुत्र कुम्भाराम 13. प्रहलादराम पुत्र कुम्भाराम 14. भूशीदेवी पत्नि जुंझाराम 15. सदराम पुत्र जुंझाराम जातियान-जाट, निवासीगण-कारटिया, तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर 	<ol style="list-style-type: none"> 1. जोगराजसिंह पुत्र अखेसिंह 2. तेजमालसिंह पुत्र खीमसिंह 3. नारायणसिंह पुत्र हरीसिंह 4. भगवानसिंह पुत्र हरीसिंह 5. रूपसिंह पुत्र राणसिंह 6. रावतसिंह पुत्र खीमसिंह 7. लीलसिंह पुत्र रूपसिंह 8. कुम्भसिंह पुत्र राणसिंह 9. खेतसिंह पुत्र राणसिंह 10. जगसिंह पुत्र खीमसिंह 11. जबरसिंह पुत्र गोविन्दसिंह जातियान-राजपुत, निवासीगण-कारटिया, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर 12. गंगादेवी पत्नि तेजाराम, जाति भील, निवासी-विचड़सर 13. नागजी पुत्र शंभू जाति-भील, निवासी-कारटिया 14. पाबू पुत्र शंभू जाति-भील, निवासी-कारटिया 15. पता पुत्र शंभू जाति-भील, निवासी-कारटिया, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर। 16. तहसीलदार सेड़वा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू. राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबंदी बाबत।


राजस्व आवेदन संख्या 66/2023

दिनांक : 21/04/23

आदेश

तहसीलदार सेड़वा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र कारटिया भूअ.नि. क्षेत्र सोनड़ी के मौजा कारटिया के खेत खसरा संख्या 393 रकबा 4.6458 हैक्टर व खसरा संख्या 626/393 रकबा 4.6539 हैक्टर, खसरा संख्या 627/393 रकबा 4.6458 हैक्टर किस्म बारानी सोयम के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा नेखमबंदी की पालना 15 दिवस में अवश्य पेश करें। नेखमबंदी के दौरान किसी बिन्दु पर किसी प्रकार निर्माण होने की स्थिति में उस बिन्दु पर नेखम स्थापित नहीं किया जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहसीलदार दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने के उपरान्त ही नेखमबंदी की कार्यवाही करेंगे।


नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।




क्रमांक/भूअ./2023/717-20

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ-

1. तहसीलदार सेड़वा।
2. प्रार्थी खेताराम पुत्र धूडाराम वगैरा।
3. विप्रार्थीगण जोगराजसिंह पुत्र अखेसिंह वगैरा।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना सेड़वा/चौहटन/बाखासर/बीजराड़/धोरीमन्ना/धनाऊ।


 (रामजी सिंह कलबानी)
 उपखण्ड अधिकारी
 सेड़वा

दिनांक 24/04/23


 उपखण्ड अधिकारी
 सेड़वा